न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 189/2020

निर्णय दिनांक :–23.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

~~छीतरलाल पुत्र लादू जाति नाई निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0~~ (मृतक)

1/1– संजय पुत्र छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/2– कालू पुत्र छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/3– गीता पुत्री छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/4– रामकन्या पुत्री छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/5– मन्जू पुत्री छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/6– गुलाबदेवी पत्नि छीतरलाल जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. कान्ता पुत्री लादू जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नारायणी पुत्री लादू जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. शांता पुत्री लादू जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. कंचनदेवी पत्नि सत्यनारायण जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कान्ता पुत्री सत्यनारायण जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. नाथूलाल पुत्र सत्यनारायण जाति नाई उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. उप पंजियक महोदय, देवली जिला टोंक
8. तहसीलदार देवली जिला टोंक
9. किशनलाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा उम्र बालिग निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

10. मोहनी देवी पत्नि किशनलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0

उपस्थिति :-
श्री आलोक कुमार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

— अप्रार्थीगण —

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 10

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 158 खसरा नम्बर 396 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.32 है0 कुल किता –02, कुल रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम पोल्याड़ी पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं प्रतिपक्षिया संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या9 खसरा नम्बर 395 रकबा 0.40 है, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.12 है0 कुल किता–02, कुल रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम पोल्याड़ी पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या 158 की भूमि मे प्रार्थी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीया संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिपक्षिया संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिपक्षीया संख्या 3 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 4 ता 6 का 1/5 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या 9 की भूमि मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीया संख्या 4 का 1/2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे विधिवत रूप से तकासमा नही हो रखा है जिसके कारण उक्त आराजीयात के लगान अदा करने को लेकर एवं उक्त आराजीयात की सीमा एवं कब्जे को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 को उक्त आराजीयात का हिस्से अनुसर सहमति से तकासमा करने के लिये निवेदन किया जिससे उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो परन्तु प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 ने सहमति ये तकसमा करने से मना कर दिया तथा जमीन बेचने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात का अलग अलग हिस्सा कर राजस्व रिकार्ड मे अलग अलग दर्ज करवाने के लिये कहने पर प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 ने मना कर दिया और बेचान करने की धमकी दी। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 को कहा कि बटंवारा होने के बाद अपने हिस्से को विक्रय कर देना परन्तु प्रतिपक्षीगण अपनी जिद पर आमादा है और बिना बंटवारा कराये उक्त आराजीयात को लालचवश बेचान करने के लिये अड़े हुये है इसलिये प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वय जरिये एजेंट, नोकर चाकर एवं उअन्य पारिवारिक सदस्यों के बिना विधिक बंटवारा

राये उक्त आराजीयात को बेचान, राह, दान, या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 7 को भी पाबंद किया जावे कि वह उक्त भूमि बाबत विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा यदि उक्त भूमि बाबत विक्रय पत्र का पंजीयन कर दिया गया हो तो उसके आधार पर भूमि का नामांतकरण तस्दीक नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पांबद नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और अपनी जमीन से महरूम हो जावेगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है तिक प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वय जरिये एजेंट, नोकर,चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के बिना विधिक बंटवारा कराये प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 व 3 मे वर्णित आराजीयात को बेचान, रहन,दान,या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 7 को भी अस्थाई निषंधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त भूमि बाबत विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा यदि उक्त भूमि बाबत विक्रय का पंजीयन कर दिया गया हो तो उसके आधार पर भूमि का नामांतकरण तस्दीक नही करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।
अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा अपने हिस्से की आराजी अप्रार्थी संख्या 9 ता 10 को विक्रय कर दी गई। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 केवल औपचारिक पक्षकार होने से इनकी तामिल की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी सं. 9 ता 10 की ओर से श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में प्रार्थी द्वारा वाद एव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार हैं। शेष गलत हैं, अस्वीकार हैं प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिंज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 में वर्णित भूमि होना स्वीकार है, परन्तु उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त में होने के कथन गलत है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियो में दर्ज प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 में वर्णित भूमि होना स्वीकार है, परन्तु उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त में होने के कथन गलत है, अस्वीकार है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियो में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियो में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण नं.

ता 6 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता 158 खसरा नम्बर 396 रकबा 0.57 है0 व खसरा नम्बर 399 रकबा 0.32 है0 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी नं. 9 को व अप्रार्थी संख्या 4 ने खाता संख्या 9 में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी नं. 10 मोहनी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 को अप्रार्थी नं. 10 मोहनी को बेचान कर दिया था। विक्रेतागण ने क्रेतागण अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को उनके क्रय अनुसार ही बेचान भूमि का मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तभी से अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 अपनी–अपनी खरीदशुदा भूमि पर बतौर खातेदर काबिज–काश्त है तथा भूमि में फसल काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे है। वर्तमान में भी अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 ने अपनी–अपनी खरीदशुदा भूमि में फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 के द्वारा उपरोक्त प्रकार से अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को अपने–अपने हिस्से की भूमि बेचान करने के बाद गलत तथ्य वर्णित करते हुए अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 की भूमि जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करने की नियत से गलत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है, अपितु खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 आंशिक रूप से स्वीकार है। यदि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में वादी का हिस्से की भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन कर दिया जावे तो इसमें हमें कोई आपति नहीं होगी। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कोई हक, हिस्सा नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण नं. 1 ता 7 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का चरण नं. 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। **<u>विशेष आपतियाः–</u>** वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता संख्या 158 खसरा नम्बर 396 रकबा 0.57है. व खसरा नम्बर 399 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी नं. 9 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 को बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी नं. 4 ने वाद वर्णित आराजी खाता संख्या 9 में से अपना 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 को अप्रार्थी नं. 10 मोहनी को बेचान कर दिया था। विक्रेतागण ने अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को उनके क्रय अनुसार ही बेचान भूमि मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तभी से क्रेतागण बतौर खातेदार काबिज–काश्त है तथा भूमि में फसल काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहै। वर्तमान में भी अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 ने अपनी–अपनी खरीदशुदा भूमि में फसल काश्त कर रखी है। यह कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 के द्वारा उपरोक्त प्रकार से अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को अपने–अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से हस्तान्तरित करने की जानकारी प्रार्थी को स्वयं को थी। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। इस कारण अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 के

धार पर नहीं खुला है। यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 27.07.2020 के बाद अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में उनके हक व हिस्से की भूमि तक कोई अधिकार नही रह जाने के कारण एवं प्रार्थी को विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 से विभाजन का अनुतोष मांगने का अधिकार नहीं है और गलत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत वाद बिना अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को पक्षकर बनाये ही पेश कर दिया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 के बाद अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 का वाद वर्णित भूमि में उनके हक हिस्से की भूमि में कोई अधिकार नहीं रह जाने के कारण प्रार्थी को प्रस्तुत वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होनता है। प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत दावा का वाद कारण बताकर एवं जानबूझकर अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को पक्षकार बनाये बिना ही दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है, अपितु खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 को प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 ने विधिवत् रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पेश कर प्रस्तुत दावा में पक्षकार बने है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 41 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व रिकार्ड में कोई भी व्यक्ति बतौर खातेदार हो जाता है तो वह अपने हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकारी है तथा इसके साथ ही अप्रार्थीगण नं. 9 व 10 प्रार्थना पत्र में वर्णित क्रयशुदा भूमि के सद्भाविक क्रेता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जब दावा पेश किया गया तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 अप्रार्थी पक्षकार थे। यदि अप्रार्थी संख्या 1ता 6 द्वारा अपने हिस्से की आराजी अप्रार्थी संख्या 9 ता 10 को जरिए रजिस्टर्ड पत्र विक्रय कर दी। इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रार्थीगण की प्रार्थना आज भी वही है कि बिना विभाजन के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे। वैसे भी अप्रार्थीगण द्वारा पूरी आराजी का बेचान नहीं किया गया है, केवल 1/5 हिस्से का ही बेचान हुआ है। विभाजन के बाद स्वतः ही अप्रार्थीगण की भूमि अलग हो जाऐगी । अतः वर्तमान में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 ता 10 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने अपनी सम्पूर्ण आराजी को अप्रार्थी संख्या को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी । और प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से की आराजी को बेचान करने का अधिकार है। इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 व 42 में स्पष्ट है। अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से नामान्तकरण रूकवाने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 9 व 10 का अपनी क्रय की गई भूमि पर कब्जाकाश्त है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। मौके पर दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2073–76 के खाता संख्या 9 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 158 में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अपने कुल हिस्सा 1/2 का विक्रय अप्रार्थी संख्या 9 को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार खाता संख्या 9 में अप्रार्थी संख्या संख्या 4 का 1/2 हिस्सा है जिसको जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 को बेचान कर दिया। अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 ने जरिए रजिस्टर्ड बयानामा भूमि क्रय की है, जिसका नामान्तकरण खुलवाने हेतु किसी माध्यम से पाबन्द करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04.08.2020 अपास्त की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली